न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बेनीपुर (दरभंगा)

जयनारायण पोद्दार व अन्य
बनाम
भू०विवाद सं० → 34/12-13 मदन पोद्दार व अन्य

C.C. Issued
No-185/30/1/13

आदेश

22.9.12 यह वाद जयनारायण पोद्दार पे० जदुनन्दन पोद्दार वो विनोद पोद्दार पे० नवीन पोद्दार साकिनान मौजा गणौरा बनौल टोले खपड़पुरा थाना बहेड़ा जिला दरभंगा द्वारा मदन पोद्दार पे० स्व० महावीर पोद्दार व अन्य 10 कुल 11 व्यक्तियों के साकिनान मौजा गणौरा बनौल टोले खपड़पुरा थाना बहेड़ा के विरुद्ध बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत विहित प्रपत्र में दाखिल परिवाद के आलोक में प्रारंभ की गई।

वाद पत्र में उल्लेखित वंशावली के अनुसार वादी व प्रतिवादी मुन्शीलाल पोद्दार के वंशज हैं जिन्हें तीन पुत्र बाबुलाल पोद्दार, मुसहरू पोद्दार एवं किशोरी पोद्दार हुए। कालान्तर में मुसहरू पोद्दार लावल्द मर गए वो उनकी सम्पत्ति दोनों सहोदर भाइयों में Survivorship से चला आया क्योंकि मद सं० 1 की भूमि मौजा गणौरा बनौल नया खाता 820 नया खेसरा 7401 रकबा 7 डी० हैआदि पैतृक सम्पत्ति है। तथा सर्वे के समय किशोरी पोद्दार वो जदुनन्दन पोद्दार की मृत्यु हो चुकी थी वो अपने पीछे एक पत्नी एवं दो लड़कों को छोड़कर मर गए। तथा सर्वे के सेटलमेन्ट में तकरारी भूमि मौजा गणौरा बनौल नया खाता 820 नया खेसरा 7401 रकबा 07 डी० प्रथम पोद्दार वो मोति पोद्दार पे० बाबुलाल पोद्दार एक अंश वो मायादेवी पति यदुनन्दन पोद्दार एक अंश के नाम से खुला। तथा नया खेसरा 7401 में आधा रकबा प्रथम पोद्दार वो मोति पोद्दार एवं आधा रकबा मो० माया देवी का हुआ। विपक्षगण प्रथम दिनांक 15.6.12 को एकाएक झगड़ा करने पर उतारू हो गये कि तकरारी भूमि की हिस्से में दो भाग मेरा है तथा सिर्फ एक भाग तुम्हारा है। उन्हीं तथ्यों के मद्देनजर वादी ने तकरारी भूमि में वादी तथा विपक्षगण द्वितीय का हिस्सा आधा घोषित करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादी द्वितीय (OP-2) द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल जवाब दिनांक 13.8.12 में उल्लेखित है कि बाबुलाल पोद्दार, मुसहरू पोद्दार एवं किशोरी पोद्दार सहोदर भाई नहीं थे वादी ने गलत वंशावली वादपत्र के साथ दाखिल किया है।

आवेदक प्रतिवादी को रिविजनल सर्वे की गलत प्रविष्टि की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। यदुनन्दन पोद्दार किशोरी पोद्दार के पुत्र नहीं हैं। वादी ने अपने वंशवृक्ष को वाद पत्र में उल्लेख किया है जिसे कार्य अंकित विवरणी से स्पष्ट किया जा सकता है। प्रस्तुत कंडिका 4 में उल्लेखित है कि RSP 2401 पुराना खेसरा 4235 केन्द्र CS खाता 465 नाम रैयत पुन्नी पोद्दार पे० स्व० नन्द पोद्दार सा० ओझा अमेग बेनीपुर से बना है। पुन्नी पोद्दार का वादी जयनारायण पोद्दार एवं विनोद पोद्दार पे० लोकन पोद्दार के पूर्वज से कोई सरोकार नहीं है। साथ ही साथ वादी किशोरी पोद्दार के उत्तराधिकारी भी नहीं हैं जो कि इस बात से प्रमाणित होता है कि RSP 4235 केन्द्र CS खाता 460 के CS खतियानी रैयत पुन्नी पोद्दार अपने पीछे चार पुत्र यथा बाबूलाल पोद्दार, मोहरी पोद्दार, किशोरी पोद्दार एवं फौजदार पोद्दार को छोड़कर स्वर्गीय हो गए। बाबूलाल पोद्दार अपने पीछे दो पुत्र प्रयाग पोद्दार एवं विष्णु पोद्दार को छोड़कर स्वर्गीय हुए। महेन्द्र पोद्दार अपने पीछे चार पुत्र यथा मधु पोद्दार, ऋतुधन पोद्दार, राजू पोद्दार, मुकेश पोद्दार को छोड़ स्वर्गीय हुए। मोहरी पोद्दार अपने पीछे चार पुत्र यथा रामाकान्त पोद्दार, लक्ष्मीकान्त पोद्दार, फूलो पोद्दार एवं दिनेश पोद्दार को छोड़कर स्वर्गीय हुए। माया देवी पिता किशोरी पोद्दार अपने पीछे दो पुत्र यथा जयनारायण पोद्दार एवं नकछेद पोद्दार को छोड़कर स्वर्गीय हुए। नकछेद पोद्दार को दो पुत्र विनोद पोद्दार व मनोज पोद्दार हुए। इस प्रकार वादी को पुन्नी पोद्दार से कोई सरोकार नहीं है तथा रिविजनल सर्वे खतियान गलत ढंग से निर्मित है जो विपक्षीगणों के लिए बाध्यकारी नहीं है। उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद पत्र में उल्लेखित वंशावली त्रुटिपूर्ण है कारण रिविजनल सर्वे खतियान में सुधार आवश्यक है। इन्हीं तथ्यों के आलोक में रिविजनल सर्वे खतियान को अनुसार पुन्नी पोद्दार के नाम करते हुए इस वाद को खारिज करने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादी 5 से 7 के तरफ से लिखित अभिकथन के माध्यम से दाखिल प्रस्तुत दिनांक 5.9.12 में उल्लेखित है कि वादी द्वारा वादपत्र में उल्लेखित वंश त्रुटिपूर्ण है। परन्तु पुन्नी पोद्दार को चार पुत्र यथा बाबूलाल पोद्दार, मोहरी पोद्दार, फौदार पोद्दार

एक किशोरी पोद्दार हुए जिनकी किशोरी पोद्दार को एकमात्र पुत्री मायावती देवी
हुई जिनकी शादी यदुनन्दन पोद्दार ग्रा० भउर से हुई । किशोरी पोद्दार
के सेवा सुश्रुषा के लिए मायावती देवी व यदुनन्दन पोद्दार ग्रा० मौजा गणेश
मनोल में ही रहने लगे । कालान्तर में किशोरी पोद्दार की मृत्यु संयुक्त परिवार
में ही हो गई । इस प्रकार उनके अन्य तीन भाइयों का पुलकी पोद्दार की
पूर्ण सम्पत्ति पर अधिकार व स्वामित्व प्राप्त हुआ । कुछ दिनों बाद गोविन्दी
पोद्दार भी निःसंतान मर गए तथा अपने पीछे अपनी पत्नी शांति देवी
को छोड़ गए जिनकी भी कालान्तर में मृत्यु हो गई । इस प्रकार सम्पूर्ण
सम्पत्ति दो भाइयों के आधिपत्य में आ गया । कालान्तर में गुलगुल पोद्दार
भी निःसंतान मृत हो गए । इस प्रकार बाबूलाल पोद्दार का सम्पूर्ण
सम्पत्ति पर अधिकार, स्वत्व एवं दखल कब्जा प्राप्त हो गया । बाबूलाल पोद्दार
अपने पीछे दो पुत्र प्रथम पोद्दार व नवीन पोद्दार को छोड़कर स्वर्गीय हो गए ।
उन लोगों के मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी विपक्षीगणों का लगातार भूमि
पर स्वामित्व प्राप्त हो गया जिसमें वादी को कोई मतलब वा सरोकार
नहीं रहा जिन्हें किशोरी पोद्दार व उनकी पुत्री माया देवी पति यदुनन्दन
पोद्दार की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहा । किशोरी पोद्दार की
मृत्यु के पश्चात मायादेवी अपने पति यदुनन्दन पोद्दार पे० सेवक पोद्दार
ग्रा० भउर P.S वालिदनगर जिला समस्तीपुर के साथ मौजा गणेश
मनोल में रहने लगी ताकि किशोरी पोद्दार की सम्पत्ति को हड़प सकें ।
इस प्रकार यदुनन्दन पोद्दार व उनके पुत्रों का किशोरी पोद्दार की
सम्पत्ति के उत्तराधिकारी नहीं है । जयनारायण पोद्दार व नवीन पोद्दार ने
षड्यंत्र कर माया देवी का रिविजनल सर्वे खतियान में दर्ज करा
दिया । माया देवी की मृत्यु 1993 में हो गई । वादी का दावा इस तथ्य से
भी स्पष्ट प्रमाणित होता है कि यदुनन्दन पोद्दार की मृत्यु के पश्चात मायादेवी
का नाम रिविजनल सर्वे खतियान में दर्ज हुआ जबकि यदुनन्दन पोद्दार व
नवीन पोद्दार के उत्तराधिकारी उपलब्ध थे । माया देवी का नाम Revisional
Survey खतियान में किशोरी पोद्दार की पुत्री के रूप में दर्ज हुआ तथा यदुनन्दन
पोद्दार किशोरी पोद्दार के पुत्र नहीं है । अतएव Hindu law के

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

केवल वादी को Revisional Survey खतियान के आधार पर कोई अधिकार, स्वत्व एवं दावा नहीं बनता है। इस वाद में स्वत्व एवं दखल कब्जा का मौलिक प्रश्न विद्यमान है क्योंकि RS खाता 820 RSP 2401 रकबा 02 डि० CSP 4235 अंदर CS खाता 465 से बना है। इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर इस वाद को खारिज करने का अनुरोध किया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन सुना तथा list of documents द्वारा दाखिल RS खतियान RS खाता 820 RSP 2401 का अवलोकन किया। वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने अभिकथन में वाद का समर्थन करते हुए उल्लेख किया कि Revisional Survey खतियान अंतिम रूप से प्रकाशित व न्याय निर्णित कार्यवाही है जिसके विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा कोई वाद/परिवाद नहीं है। अतएव R.S के आधार पर वादी का दावा स्वीकृत की जाए।

प्रतिवादी 2, 5 एवं 7 के विद्वान अधिवक्ताओं का अभिकथन सुना एवं list of document द्वारा दाखिल दस्तावेजी साक्ष्य वंशावली वाकिन्द्र श्री किशोरी पोद्दार बनाम मनोज पोद्दार का अवलोकन किया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः इस तथ्य पर जोर दिया कि Revisional Survey प्रविष्टि CS खतियानी हैसियत के गलत वंशावृक्ष के आधार पर बना है जो गलत है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को का अभिकथन सुना तथा दाखिल दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। वादी एवं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओं के अभिकथन एवं दाखिल वाद एवं प्रत्युत्तर में मुख्यतः इस बात/तथ्य का मतान्तर है कि क्या यदुनन्दन पोद्दार किशोरी पोद्दार के पुत्र हैं अथवा नहीं। परन्तु यह स्वीकृत तथ्य है मायादेवी किशोरी पोद्दार की पुत्री व एकमात्र वैध वारिसान है जिनको दो पुत्र जयनारायण पोद्दार व नवीन पोद्दार हुए। नवीन पोद्दार अपने पीछे दो पुत्र विनोद पोद्दार (वादी सं०-2) एवं अनोज पोद्दार (प्रतिवादी द्वितीय पक्ष OP-7) हुए।

निष्कर्षतः पुन्नी लाल पोद्दार की मौरूसी सम्पत्ति में किशोरी पोद्दार की पुत्री मायादेवी का भी हिस्सा व अधिकार एक स्थापित तथ्य है।

22/9/12

उक्त तथ्य के मद्देनजर Revisional Survey मौजा गणेश बनौल थाना नं० 137 RSP 7601 अन्दर RS खाता 820 रकबा 07 डी० के नाम खतियान के रूप में परमा पोद्दार वो मोती पोद्दार पिता बाबूलाल पोद्दार प्रत्येक एक अंश समान एवं माया देवी पति मदनचन्द पोद्दार एक अंश का खाता खुला। प्रतिवादी द्वारा उक्त RS प्रविष्टि के विरुद्ध बि०भि० के सुसंगत प्रावधानों के तहत कोई अपीलवाद भी दाखिल नहीं किए जाए हैं OP द्वारा T.S No 145/12 भी इस वाद के कायम होने के पश्चात ही दाखिल है। स्पष्टतः उक्त तनाजी भूमि से संबंधित Revisional Survey प्रविष्टि उचित हैं।

अतः उपरोक्त विवेचनाओं एवं निष्कर्षों के आलोक में विवादग्रस्त मौजा गणेश बनौल थाना नं० 137 RSP 7401 अन्दर RS खाता 820 से संबंधित Revisional Survey प्रविष्टि को अंतिम रूप से स्वीकृत एवं न्याय निर्णीत कार्यवाही घोषित किया जाता है तदनुसार वादी सं० 1 का तनाजी भूमि रकबा 07 डी० का 1/4 (एक चौथाई) एवं वादी सं० 2 का तनाजी भूमि रकबा 07 डी० का 1/4 के अंश पर अधिकार एवं स्वामित्व सम्पुष्ट किया जाता है।

उपरोक्त आदेश एवं निर्णय के साथ इस वाद को निष्पादित किया गया।

लिखवाया व संशोधित

भूमि सुधार उप-समाहर्ता
बेनीपुर

भूमि सुधार उप-समाहर्ता
बेनीपुर